

DELHI PUBLIC SCHOOL
YAMUNAPURAM , BULANDSHAHR

Date: 07/05/2018

ADVISORY NOTE

Subject : Guidelines for Parents who can using Private Transport for their ward.


Dear Parents,

As per our Knowledge your ward is reaching the school campus either on his own or by a private vehicle hired by you. Keeping in view of the growing Concern about Safety & Security of your ward, we wish to suggest you few steps which you should follow to ensure safety of your ward in a private vehicle.

1. Parents must ensure that all private cab carrying your ward must have **VALID Permit , Fitness and Insurance** for school cab.
2. Seating capacity should not exceed than the registered number of seats in the cab which can seen on the permit.
3. Parents must ensure that the vehicle should not be more than 10 years old and it should be commercially registered.
4. The vehicle must be in good condition.
5. The body of school cab shall be highway yellow colour with a horizontal strip in blue colour of 150mm width in the middle all around the vehicle and the words " SCHOOL CAB" must be prominently displayed on all four sides of the vehicle.
6. There must be enough space provided to keep school bags inside the vehicle and the bags should not be hung outside the vehicle or placed on roof carriers.
7. The vehicle should not operate on domestic LPG cylinders.
8. The driver of a school cab must have **Valid License** to drive LMV –Transport Vehicles for a period of at least five years.
9. It is advisable that parents must check the police verification of the cab driver and road –worthiness of the vehicle.
10. The parents of the students using the same transport , must exchange their phone numbers.
11. The telephone numbers of the driver and cab details should be provided to the concerned Class Teacher.
12. The drivers have also been warned not to use ear-phone/mobile phone while driving the cab , in case you find any driver using ear-phone/ mobile phone while driving , kindly report the matter to the ARTO.
13. The school cab must have a **First Aid Box**.


(Dr. Anupam Jagga)

Principal
Delhi Public School
Bulandshahr-203001 (U P)



दिल्ली पब्लिक स्कूल,
यमुनापुरम्, बुलन्दशहर

दिनांक : 07/05/2018


सलाहकार टिप्पणी

विषय : स्कूल में संचालित निजी यात्री वाहनों/वैनो के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

प्रिय अभिभावक,

हमारी जानकारी के अनुसार आपके बच्चे अपने वाहन या निजी वाहन से स्कूल परिसर आ रहे हैं। उनकी सुरक्षा व सावधानी का ख्याल रखें क्योंकि आए दिन अप्रिय घटनाएँ घट रही हैं। इस संबंध में हम आप सबको कुछ सुझाव देना चाहते हैं, हमें पूर्ण विश्वास कि बच्चों की सुरक्षा व सावधानी हेतु इन आप इन दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे।

1. यह सुनिश्चित कर ले कि निजी वाहनों/वैनो के पास वैध परमिट, फिटनेस, इन्श्योरेंस है।
2. वाहन पंजीकरण पुस्तिका में दर्शायी गई सीटों की संख्या से अधिक बच्चे न हों।
3. यह सुनिश्चित कर ले कि निजी वाहन/वैन 10 वर्ष से पुराने नहीं होने चाहिए व वाहन व्यावसायिक रूप से पंजीकृत हों।
4. यह सुनिश्चित कर ले कि निजी वाहन/वैन ठीक हालत में है।
5. यह सुनिश्चित कर ले कि निजी वाहनों/वैनो का रंग पीला हो और बीच में नीले रंग की पट्टी होनी चाहिए और वैनो के आगे व पीछे "School Cab" लिखा हो।
6. यह सुनिश्चित कर ले कि वैनो में बच्चों के बैठने व बैग रखने के लिए पर्याप्त रूप से जगह होनी चाहिए।
7. यह सुनिश्चित कर ले कि निजी वाहनों व वैनो में घरेलू LPG सैलेन्डर का प्रयोग नहीं हो रहा है।
8. यह सुनिश्चित कर ले कि निजी वाहनों/वैनो के चालकों के पास व्यावसायिक वैध लाईसेंस हो जो कि कम से कम 5 वर्ष पुराना हो।
9. यह सुनिश्चित कर ले कि निजी वाहनों/वैनो के ड्राइवरों का पुलिस सत्यापन अवश्य हुआ हो।
10. यह सुनिश्चित कर ले कि निजी वाहनों/वैनो में अस्थाई रूप से सीटे बढ़ाई नहीं गई हो जो कि मानक के विपरीत होने के कारण अत्यंत खतरनाक हो सकती है।
11. यह सुनिश्चित कर ले कि निजी वाहनों/वैनो के चालक व मालिक का फोन नम्बर कक्षा अध्यापिका के पास अवश्य हों।
12. कोई वाहन चालक चलाते समय Ear Phone/Mobile Phone का प्रयोग करता है तो रोकें और टोकें व न मानने पर उसकी सूचना तुरन्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बुलन्दशहर को दे दें।
13. यह सुनिश्चित कर ले कि निजी वाहनों/वैनो में First Aid Box अवश्य हो।


(डॉ० अनुपम जग्गा)
प्रधानाचार्य
Principal
Delhi Public School
Bulandshahr-203001 (U.P.)